निगरानी / एलआर/5471/ 2004/पाली
चेलाराम बनाम रूपसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20-6-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनल लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री गौरव दवे, अभिभाषक प्रार्थी । श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी के संक्षिप्ततः तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं. 3/2001 में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली ने अपने आदेश दिनांक 9–8–04 द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि प्रार्थी की शिकायत पर ही तहसीलदार द्वारा नियम 14(4) की कार्यवाहीं प्रारम्भ की गई थी तथा उसी के अनुसार प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया गया था। प्रार्थी को विवादित आराजी के आवंटन में हुई फर्जकारी एवं नियम विरूद्ध हुये आवंटन की पूर्ण जानकारी है जो न्याय करने में सिद्ध होंगे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.1 को विधि विरूद्ध आवंटन बाबत् प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर पाली को प्रस्तुत किया था जिस पर बाद जांच तहसीलदार पाली द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाहीं करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ। रिकार्ड एवं तथ्य सही होने पर राजस्व मंडल तक अप्रार्थी के आवंटन को मान्यता नहीं दी गई। अति0 जिला कलेक्टर पाली द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 3–12–94 में प्रार्थी चेलाराम के उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का उल्लेख है एवं उसके द्वारा ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नामांतरकरण सं. 129 एवं मौजा शैतानसिंह नगर से सम्बंधित जमाबंदी संवत् 2030, जमाबंदी संवत् 2044 की प्रमाणित प्रतिलपियां पेश की थी। जिससे यह भलीभांति स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को दरकिनार करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 4– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रकरण आवंटन की शिकायत से सम्बंधित है तथा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाहीं करने हेतु प्रकरण सम्बंधित तहसीलदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है एवं पक्षकार तहसीलदार एवं आवंटी ही हो सकते है तीसरा पक्षकार का इसमें कोई लेनादेना नहीं है। प्रार्थी का विवादित आराजी में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कोई हित निहित नहीं है। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम से सम्बंधित है जिसमें प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनने खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे। 5— उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के दोरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता अति0 जिला कलेक्टर पाली ने अपने आदेश दिनांक 9—8—04 से खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार पाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी सं.1 का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी सं.1 का आवंटन निरस्त किया गया था। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली एवं द्वितीय अपील राजस्व मंडल में पेश की गई थी जो दोनो खारिज की गई। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटीशन पेश की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 27—11—2000 के तहत पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली को रिमाण्ड किया गया। प्रार्थी चेलाराम इस कार्यवाहीं के दौरान किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा। प्रकरण राज0 उच्च न्यायालय से अति0 जिला कलेक्टर पाली को निर्देशों के साथ रिमाण्ड होकर पुनः निर्णय हेतु प्राप्त हुआ है। प्रकरण भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) से सम्बंधित है जिसमें कार्यवाहीं करने हेतु प्रकरण सम्बंधित तहसीलदार द्वारा आवंटी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाता है एवं पक्षकार तहसीलदार एवं आवंटी ही हो सकते है। अति0 जिला कलेक्टर पाली को राजस्थान उच्च न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः निर्णित करना है। प्रार्थी चेलाराम प्रकरण में किस प्रकार व्यथित पक्षकार है, साबित नहीं कर पाये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को प्रकरण में सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार नहीं मानते हुये उसका प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 6— परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	